सर्व शिक्षा अभियान में शाला प्रबंधन समिति की जिम्मेदारियां एवम् उत्तरदायित्व: मध्यप्रदेश के संदर्भ में

Anil Prakash Shrivastav*

State Training Officer Tess India Madhya Pradesh, State Education Center B. Wing Buk Bhavan, Arora Hills, Bhopal (M.P.) India

सारांश - सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। वर्तमान में शिक्षा, शिक्षण एवं शैक्षणिक प्रक्रिया को सरल प्रभावी एवं रोचक बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिये शासकीय स्तर पर कई प्रावधान किये गये हैं। वर्ष 2002 में संसद द्वारा पारित 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान में निहित शिक्षा के इस अधिकार को लागू करने के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। मध्यप्रदेश में सरकार ने इस अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नियम बनाए हैं और ये नियम 26 मार्च 2011 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं। इन नियमों में 20 जुलाई 2011 को आंशिक संशोधन किया गया है और अब ये प्रदेश में लागू हो गये हैं। बच्चों की शिक्षा में उनके माता-पिता और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। शाला प्रबंधन में पालकों और समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक शासकीय और अनुदान प्राप्त शाला में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समुदाय आधारित शाला प्रबंधन समिति शाला में संचालित होने वाली समस्त शैक्षणिक अकादमिक, प्रबंधन व रखरखाव गतिविधियों की देखरेख करने के साथ ही शाला व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 'स्कूल एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व' के अतंर्गत धारा 21 एवं 22 में शाला प्रबंधन समिति के गठन एवं उसके उत्तरदायित्वों के विषय में वर्णन किया गया है।

वर्तमान मे प्रदेश की शासकीय प्राथमिक शालाओं में 83890 तथा माध्यमिक शालाओं में 30341 शाला प्रबंधन समितियां कार्यरत है।

मुख्यबिन्दु - शाला प्रबंधन समिति, समुदाय की भूमिका, आरटीई ।

प्रस्तावना

सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। वर्तमान में शिक्षा, शिक्षण एवं शैक्षणिक प्रक्रिया को सरल प्रभावी एवं रोचक बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिये शासकीय स्तर पर कई प्रावधान किये गये हैं। वर्ष

2002 में संसद द्वारा पारित 86 वां संविधान संशोधन अधिनियम 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान में निहित शिक्षा के इस अधिकार को लागू करने के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है।

बच्चों की शिक्षा में उनके माता-पिता और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। शाला को बेहतर बनाने और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की अच्छी व्यवस्था हो इसकी निगरानी की जिम्मेदारी शाला में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता से बढ़कर और कोई नहीं ले सकता। शाला प्रबंधन में पालकों और समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक शासकीय शाला और अनुदान प्राप्त शाला में शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश में वर्ष 1994 के बाद स्थानीय स्तर पर विद्यालयों के प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण तथा लोगों की जरूरतों के अनुसार शिक्षा को अनुक्रियाशील बनाने हेतु समुदाय को सशक्त करने के लिये उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं। जहां अध्यापक, समुदाय तथा पंचायती राज संस्थायें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश जनशिक्षा अधिनियम 2002 के अंतर्गत वर्ष 2002 में पालक शिक्षक संघ (Parent Teacher Association) का गठन किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शाला प्रबंधन समिति के रूप में यह अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए इस अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 26 मार्च 2011 को मध्यप्रदेश राजपत्र में नियमों का प्रकाशन किया गया है। इन नियमों में 20 जुलाई 2011 को आंशिक संशोधन किया गया है और अब ये प्रदेश में लागू हो गये हैं।

अधिनियम में शाला प्रबंधन समिति की स्थिति एवम् प्रावधान - निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 'स्कूल एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व' के अतंर्गत धारा 21 एवं 22 में शाला प्रबंधन समिति के गठन एवं उसके उत्तरदायित्वों के विषय में वर्णन किया गया है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियम 12 एवं 13 में शाला प्रबंधन समिति से जुड़े नियमों का वर्णन है।

शाला प्रबंधन समिति की संरचना

मध्यप्रदेश के सभी 83890 शासकीय प्राथमिक एवम् 30341 माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समितियों का गठन कर दिया गया है। नियम 12 के उपनियम (1) में उल्लेख है कि शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। उपनियम (2) (क) के अनुसार दो वर्ष कार्यकाल वाली इन समितियों में प्राथमिक शाला की कार्यकारिणी में 18 व माध्यमिक शाला की कार्यकारिणी में 16 सदस्य रखे गये हैं। कम से कम तीन चैथाई सदस्य माता पिता या अभिभावक वर्ग से रखे गये हैं। शेष एक चैथाई में जन प्रतिनिधि तथा अध्यापक वर्ग का प्रतिनिधित्व रखा गया है। समिति में वंचित और

कमजोर वर्ग के बच्चों के माता पिता या अभिभावकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी रखा गया है। कार्यकारिणी में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन की 11 वी अनुसूची में 29 मदों की सूची के अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय समेत शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय समुदाय व पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्ययोजना 1986 भी स्थानीय समितियों को उपयुक्त निकायों के माध्यम से विद्यालय सुधार के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर जोर देती है अतः शाला प्रबंधन समिति के गठन में स्थानीय समुदाय और शासन की पर्याप्त भागीदारी रखी गई है तथा इसी मंशा से स्थानीय पार्षद/पंच, महापौर या सरपंच द्वारा नामांकित सदस्य को भी शाला प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी में शामिल किया गया है।

नियम 12 के उपनियम (3 और 4) के अनुसारशाला प्रबंधन समिति के एक अध्यक्ष का चयन माता पिता या अभिभावकों के बीच से किया जाता है।

समिति की कार्यकारिणी में माता पिता के चयन के लिए बच्चों की उपलब्धि को आधार बनाया गया है अर्थात ऐसे बच्चे के माता पिता या अभिभावक जिसने पूर्ववर्ती वार्षिक परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किये हैं कार्यकारिणी में शामिल किये जाते हैं यही प्रक्रिया अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडा वर्गों के प्रवर्गों में भी अपनाई गई है।

शाला प्रबंधन समिति की जिम्मेदारियां एवम् उत्तरदायित्व

समुदाय आधारित शाला प्रबंधन समितिशाला में संचालित होने वाली समस्त शैक्षणिक, अकादमिक, प्रबंधन व रखरखाव गतिविधियों की देखरेख करने के साथ ही शाला व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी है। इसमें बच्चों का नामांकन, ठहराव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अधोसंरचना तथा शिक्षकों की आवश्यकता जैसे कार्यो को पूर्ण कर शाला को बेहतर बनाने के लिए शाला विकास योजना तैयार करना सम्मिलित है। नियम 12 के उपनियम (7) में (क) से(ट) तक समिति के उत्तरदायित्व उल्लेखित हैं जो इस प्रकार हैं-

(क) अपने ग्राम/बसाहट/मोहल्ला के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन तथा उनकी उपस्थिति को लगातार सुनिश्चित करना।

(ख) विद्यालय के सभी बच्चों को प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाना, इसमे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृत्तियां आदि शामिल हैं।

(ग) विद्यालय के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय गतिविधियों की स्थिति को समुदाय के समक्ष समय समय पर रखना और विचार विमर्श करना।

(घ) विद्यालयों में माता पिता तथा समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(च) अधिनियम के मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना।

(छ) यह सुनिश्चित करना कि किसी आधार पर कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव न हो।

(ज) निःशक्त बालक बालिकाओं की पहचान कर उनका नामांकन, अधययन की सुविधाओं की पहचान, निगरानी व प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना।

(झ) मोनिटरिंग गतिविधियों के अन्तर्गत,

(1) विद्यालय के मानक एवं मापदण्ड,

(2) छात्र -शिक्षक अनुपात

(3) अधोसंरचना शाला भवन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, खेल का मैदान, चारदीवारी, रसोई कक्ष आदि की मोनिटरिंग करना।

(ट) शैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्धि के लिए,

(1) समय पर पाठ्यक्रम का संचालन

(2) शैक्षणिक कैलेण्डर का परिपालन

(3) शिक्षकों के कार्यों की मोनिटरिंग एवं उनकी समस्याओं को सुनना

(4) बच्चों की प्रगति के संबंध में पालक/अभिभावक के साथ बैठक करना और सुझाव लेना,

(5) सीखने सिखाने की गतिविधियों की नियमित मोनिटरिंग करना,

(6) बच्चों के सर्वांगीण विकास को मोनीटर करना,

(7) प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध की निगरानी

(ठ) शाला विकास योजना का निर्माण करना

(ड) बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना तथा,

(ढ) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों की मोनिटरिंग करना शामिल हैं ।

शैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्धि के लिए शाला प्रबंधन समिति के कार्य

शाला प्रबंधन समिति को इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए माता पिता, अभिभावक शिक्षक और जन प्रतिनिधियों तथा समुदाय के लोगों से निरंतर सम्पर्क कर विद्यालय गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए प्रयास करने की अपेक्षा की गई है ।

अपनी जिम्मेदारियों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए शाला प्रबंधन समिति निम्नलिखित कार्य करने चाहिये-

(क) शाला प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को ऐसे परिवारों से संपर्क करना चाहिये जिनके बच्चे शाला में दर्ज नही हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों को शाला में नामांकित कराना चाहिये।

(ख) शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को उन परिवारों से लगातार संपर्क करना चाहिये जिनके बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नही जाते हैं।

(ग) विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्धि के लिए समिति के सदस्यों को विद्यालय का नियमित भ्रमण कर बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति तथा विद्यालय की समस्त गतिविधियों में उनकी सहभागिता पर निगरानी रखनी चाहिये और उन्हे बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये।

(घ) विद्यालय में आयोजित होने वाले सतत् एवं समग्र मूल्यांकन की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिये। सतत् एवं समग्र मूल्यांकन के आधार पर बनाये गये प्रगति प्रतिवेदन के विश्लेषण से बच्चों की कमजोरियों पर निगरानी रखनी चाहिये।

(च) अच्छे परिवेश और स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण में बौद्धिक व शारीरिक क्षमताओं का बेहतर उपयोग होता है तथा सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, शाला प्रबंधन समिति को शाला परिसर में बच्चों को ऐसा ही वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कार्य करना चाहिये।

(छ) अच्छा परिवेश और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय भवन व आसपास की साफ सफाई, पीने का साफ पानी, समय पर मध्यान्ह भोजन, गंदे पानी की उचित निकासी, बालक-बालिकाओं के लिए स्वच्छ शौचालय की उपयुक्त व्यवस्था आदि सुविधाओं की सतत् निगरानी करना चाहिये और जहां कहीं ये सुविधाएं उपलब्ध न हो तो उपलब्ध कराना चाहिये।

(ज) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शाला प्रबंधन समिति को अधिनियम के प्रावधानों के पालन की निगरानी करनी चाहिये, उसे विशेष रूप से देखना चाहिये कि विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक हों, शैक्षणिक कैलेण्डर का पालन करते हुए पठन पाठन हो, सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर मिलें, वे बिना किसी भय के तनाव मुक्त वातावरण में सीख सकें तथा विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षकों व बच्चों की उपलब्धियों पर उन्हे उचित प्रोत्साहन मिलता रहे।

इनके अतिरिक्त शाला प्रबंधन समिति को इन समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए अपने सदस्यों में से छोटे छोटे समूह या कार्य समितियां बनानी चाहियें जिससे कि कार्य आसानी से हो सके और उसमें सभी की सहभागिता हो सके।

शाला विकास योजना का निर्माण करना

विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता अभिवृद्धि के लिए शाला प्रबंधन समिति को अपने गठन के प्रथम वर्ष में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कम से कम तीन माह पहले शाला विकास योजना बनाने का प्रावधान अधिनियम के नियम 13 के उपनियम (1) में किया गया है। वस्तुतः यह शाला के विकास का उच्चस्तरीय दस्तावेज है, जिसमें शाला को गुणवत्तापूर्ण बनाने की समस्त गतिविधियों का विवरण समाहित है। यह योजना तीन वार्षिक उप योजनाओं का समाविष्ट करते हुए एक तीन वर्षीय कार्य योजना है।

यह योजना चार भागों में बनाई जाती हैः

(क) ढांचागत योजना -इसके अन्तर्गत कक्षा, खेल का मैदान, स्वच्छ शौचालय, पीने का साफ पानी,चाहर दीवारी, निःशक्त बच्चों के लिए रैम्प, किचिन शौड इत्यादि सम्मिलित हैं।

(ख) अकादमिक योजना-शिक्षकों की आवश्यकता (पीटीआर के अनुसार), शिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रोत्साहन योजनाओं की मोनिटरिंग, पठन पाठन की योजना पुस्तकालय, छात्रवृत्ति इत्यादि।

(ग) सामाजिक चुनौतियों के लिए योजना- अनामांकित बच्चों के लिए योजना, अनियमित बच्चों के लिए योजना, विकलांग व पलायन करने वाले बच्चों के लिए योजना, लिंग आधारित धर्म आधारित चुनौतियों के लिए योजना आदि।

(घ) आर्थिक योजना- सरकार से अनुदान, पंचायत से सहयोग, अन्य विभागों से समन्वय, समुदाय से सहयोग।

शाला विकास योजना प्रपत्र

इस योजना का निमार्ण समिति समुदाय की मीटिंग करके, प्रपत्र बनाकर, सर्वे द्वारा, आवश्यकताओं की सूची बनाकर, बजट बनाकर कर किया जाता है। इस प्रकार की योजना द्वारा विद्यालय के सर्वांगीण विकास की कल्पना की गई है जिसके लिए शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

वस्तुतः शाला प्रबंधन समिति के सदस्य अपने दायित्वों को कुशलतापूर्वक निभा सकें इसके लिए उनके नियमित मार्गदर्शन व उंन्हे सतत् प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

उन्हे इस बात के लिए प्रेरित करने की जरूरत है कि बच्चों की शिक्षा को सुचारु ढंग से जारी रखने और उसे गुणवत्तापूर्ण बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे वे शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से सकते हैं।

इसके लिए उन्हे जागरूक बनाने और अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने की आवश्यकता है। उन्हे अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों की समुचित जानकारी होने पर ही वे कार्यो को पूरा

कर सकेंगे अतः शासन को उनके सतत क्षमतावर्द्धन के लिए कार्ययोजना बनानी चाहिये।

शाला और समुदाय की आपसी सहभागिता और समन्वय शालाओं के उन्नयन और शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि के लिए अनिवार्य है। अतः इस दिशा में भी शाला प्रबंधन समितियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। यदि ऐसा संभव होता है तभी इस अधिनियम के अंतर्गत शाला प्रबंधन समितियों की भूमिका सार्थक होगी और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को हम शिक्षा का उनका मौलिक अधिकार सही मायनों में देने में सक्षम हो पायेंगे ।

संदर्भ सूची

[1] **भारत का राजपत्र निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

[2] **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)** मध्यप्रदेश राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल

[3] **मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम (2002)** राजीव गांधी शिक्षा मिशन मध्य प्रदेश शासन भोपाल

[4] **मध्यप्रदेश जन शिक्षा नियम (2003)** राजीव गांधी शिक्षा मिशन मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल म.प्र.

[5] **पंचपरमेश्वर प्रशिक्षण मार्गदर्शिका 2012** महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर मध्यप्रदेश

[6] **शाला प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मार्गदर्शिका 2012** राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश

[7] **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009** परराज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश का पावर पांइट प्रस्तुतिकरण

[8] A. Mayhew and amp, H. R. (2003).*Development of Education System in India.* New Delhi: Reprint Publishers.

[9] Awasthi, R. P. (2006). Perception of community members regarding SSA and its implementation. *Ram-esh a Journal of Teacher Education and Research Vol 2(2).*

[10] Bandyopadhyay, R. G. (2010). *Changing Framework of Local Governance andCommunity Participation in Elementary Education in India,Consortium for Research on Educational Access, Transitions and Equity.*

[11] Bhopal, R. S. (2009). *Shodh Manthan.* Bhopal: Research Cell, Rajya Shiksha Kendra Madhya Pradesh.

[12] Dash, B. N. (2004). *School Organisation Administration & Management.* New Delhi: Neel kamal Publication.

[13] Delhi, U. o. (November 2015). *School Standards and Evaluation*

Framework. New Delhi: National University of Educational Planning and Administration.

[14] Development, M. o. (1986). *National policy of education.* New Delhi: Govt. of India.

[15] Development, M. o. (2011). Sarva Shiksha Abhiyan Framework for Implementation (based on the Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009). *Sarva Shiksha Abhiyan Framework for Implementation (based on the Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009)*. New Delhi, Madhya Pradesh, India: Ministry of Hum Resource Development, Govt of India.

[16] Dhillon, K. K. (2010). *Emerging trends in Indian Education.* . Patiala: Twenty First Century Publication.

[16] Diwan, N. B. (2007). Small, Multigrade Scool and Increasing Access to Primary Education in India: National Context and NGO Initiatives. *Small, Multigrade Scool and Increasing Access to Primary Education in India: National Context and NGO Initiatives Monograph No 17 Brighton*. New Delhi, New Delhi, India: CREATE Centre for International Education Sussex School of Education and NUEPA.

[17] (2003-04). *Education Watch Report Campaign for popular Education (CAMPE).* Dhaka Bangladesh.

[18] (Feburary 2011). *Effective School Management Committees.* New Delhi: Create.

[19] (n.d.). *Empowering Communities, Enhancing Education Strengthening School Management Committees i India.* New Delhi: Central Square foundation.

[20] Foundation, C. S. (June 2014). *Policy Brief: School Management Committee, Success, Challenges and Opportunities.* New Delhi: Central Square Foundation.

[21] Goel, S. G. (1994). *Education Policy and Administration.* New Delhi: Deep and Deep Publications.

[22] Govinda, R. (2003). Dynamics of Decntralized Management in Primary Education: Policy and Practice in Rajasthan and Madhya Pradesh. *Community Participation and Empowerment in Primary Education*, pp. 203-235.

[23] Gupta, V. K. (2005). *Development of Education System in India.* Ludhiana: Vinod Publications.

[24] I Narain, K. C. (1996). *Panchayati Raj and Educational Administration.* Jaipur: Aalekh Publishers.

[25] Kaur, J. K. (2016). Educational administration in India in the twenty first century. *Online International Interdisciplinary Research Journal, 6 (1)*, 303-309.

[26] Kocher. (1964). *Secondary School Administration, Educational Administration- It's What, Why and How,.* S.K. University Publication.

[27] Mayhew, A. (1956). *The Education of India.* London: Faber and Gwyer.

[28] Mishra, M. (2007). *Modern Indian Education and Problems.* New Delhi: Alfa Publications.

[29] Mohanty, B. (2001). *School Administration and Supervision.* Deep and Deep Publications Pvt. Ltd,.

[30] Mohanty, J. (2002). *Educational Administration, Supervision and School Management, A source book.* Delhi: Deep and Deep .

[31] N.Mc Ginn and amp, T. W. (1999). *Decentralization of Education : Why, When, What and How? Fundamentals of Educational Planning.* UNESCO.

[32] Pradesh, R. S. (2016). *Shaala Siddhi-Hamari Sh*

[33] Annual Status of Educational Research (ASER) 2012 Pratham Mumbai

वेबसाइट

[1] www.ssa.gov.in ,

[2] www.ssamp.gov.in

[3] www.mpeducation.portal

[4] www.rteindia.com

[5] www.righttoeducation.in

[6] www.mhrd.gov.in

[7] www.india.gov.in